


बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

--: शुद्धि पत्र ::-

समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-46 दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल रूपये 2117.00 लाख (एक्कीस करोड़ सतरह लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के क्रमांक 3 "बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना" के विषय शीर्ष में 0106-06-01/0106-11-01/0106-13-01/0106-28-02/0106-50-01 अंकित है। उक्त में इसके अतिरिक्त विषय शीर्ष 0106-13-02/0106-13-03/0106-01-01/0106-01-03/0106-01-04/0106-01-05 /0106-01-06 विषय शीर्ष को सम्मिलित करते हुए पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

  
(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- : 3/यो0-28/2018/

53

पटना-15, दिनांक- 09-08-19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- : 3/यो0-28/2018/

53

पटना-15, दिनांक- 09-08-19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त निदेशक (मु०)